सिस्टम सेल
उ०मा०-3195-10-8-10
संयुक्त
23/8/2010

केवल आरपीएड
शासकीय पत्र

संख्या–1565 / 15–7–10–1(90) / 2010

प्रेषक,

नरेन्द्र सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

शिक्षा (7) अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2010

विषय :– शिक्षण संस्थाओं मे कक्षा–10 एव 12 में सीधे वाह्य छात्रों के प्रवेश की रोकथाम हेतु व्यवस्था किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ0शा0 पत्रांक–मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / डी0ई / 14, दिनांक 05 जुलाई, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय–12 के विनियम–3 (ख) से 3 (ड.) के प्राविधानानुसार परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित होने के पूर्व प्रत्येक संस्थागत छात्र / छात्रा का कक्षा–9 एवं 11 मे अग्रिम पंजीकरण कराये जाने की अनिवार्यता फर्जी छात्रों के परीक्षा मे सम्मिलित होने से रोकने के उद्देश्य से लागू की गयी है, परन्तु शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्रतिवर्ष कतिपय संस्थाध्यक्षों / प्रधानाचार्यो द्वारा इस व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं से कक्षा–9 एवं 11 उत्तीर्ण छात्रों को सीधे प्रवेश हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में दे दिये जाते हैं जिसके कारण ऐसी संस्थाओं में पंजीकृत छात्रों की संख्या अत्यधिक हो जाती है।

सचिव
मा.शि.प.

(संजय मोहन)
निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश
10/8/10

2– उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में कक्षा–10 एव 12 में सीधे वाह्य छात्रों का प्रवेश 10 से अधिक संख्या मे न लिया जाये और ऐसे छात्रों के प्रवेश हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्वानुमति प्राप्त की जाय, ताकि अनियमित छात्रों के प्रवेश पर रोक लग सके।

3– कृपया उपरोक्त आदेशों / निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(नरेन्द्र सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या–1565(1) / 15–7–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(अनिल कुमार तिवारी)
अनु सचिव।